EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1254-1256

Dated 17-9-2005

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2005

सा.का.नि. 317.—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**— (1) इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 अभिप्रेत है ;

(ख) ''वार्षिक रिपोर्ट'' से अधिनियम की धारा 23 में निर्दिष्ट रिपोर्ट अभिप्रेत है ;

(ग) ''लेखाओं का वार्षिक विवरण'' से अधिनियम की धारा 25 में निर्दिष्ट लेखाओं का वार्षिक विवरण अभिप्रेत है;

(घ) ''ब्यूरो'' से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अभिप्रेत है ;

(ङ) ''महानिदेशक'' से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त ब्यूरो का महानिदेशक अभिप्रेत है ;

(च) ''सचिव'' से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त ब्यूरो का सचिव अभिप्रेत है ;

(छ) ''अनुसूची'' से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके हैं।

3. **वार्षिक रिपोर्ट का तैयार किया जाना.**—(1) ब्यूरो सुसंगत वर्ष के दौरान किए गए अपने क्रियाकलापों का पूर्ण वृत्तांत देते हुए प्रत्येक वर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा। वार्षिक रिपोर्ट में अगले वित्तीय वर्ष के दौरान ब्यूरो द्वारा किए जाने के लिए संभावित क्रियाकलापों के ब्यौरे, भारत के नियंत्रण-महालेखा परीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित लेखाओं का वार्षिक विवरण, संपरीक्षा रिपोर्ट, उस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट, महानिदेशक की रिपोर्ट और ऐसे अन्य दस्तावेज जो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, सम्मिलित होंगे।

(2) वार्षिक रिपोर्ट अनुसूची में अंतर्विष्ट प्ररूप 'क' में विनिर्दिष्ट फार्मेट में तैयार की जाएगी।

4. **वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी का प्राधिकार.**—ब्यूरो का सचिव वार्षिक रिपोर्ट की, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ब्यूरो द्वारा किए गए या किए जाने के लिए नियोजित क्रियाकलापों को निष्ठापूर्वक प्रकट करती है और यह केन्द्रीय सरकार को समय पर प्रस्तुत की जाती है, तैयारी का पर्यवेक्षण करेगा।

5. **वार्षिक रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना.**—ब्यूरो अधिनियम की धारा 24 के अधीन संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक वर्ष के 15 सितंबर के पूर्व शासी परिषद द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह कि इस निमित्त ब्यूरो से प्राप्त किसी अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार, कारणों को लेखबद्ध करके केन्द्रीय सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख को ऐसी अवधि तक बढ़ा सकेगी जो वह आवश्यक समझे।

6. **वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत करने में विलंब.**—जब कभी केन्द्रीय सरकार को वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत करने में विलंब हो जाता है तो ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार को शासी परिषद् या ऐसे अन्य प्राधिकारी जो इस संबंध में परिषद् द्वारा विहित किया जाए द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट के साथ विलंब के कारणों को स्पष्ट करते हुए एक विवरण भी प्रस्तुत करेगा।

अनुसूची

प्ररूप क

[नियम 3 का उपनियम (2) देखिए]

वार्षिक रिपोर्ट का फार्मेट

1. साधारण

(i) मिशन

(ii) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के उद्देश्य और उसकी भूमिका

(iii) महानिदेशक की रिपोर्ट

(iv) शासी परिषद्/कार्यकारी समिति-संरचना, संरचना/सदस्यता में परिवर्तन

(v) क्षेत्रवार विचार-कृषि, उद्योग, परिवहन, घरेलू और वाणिज्यिक तथा ऐसे अन्य क्षेत्र जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

2. **कार्यक्रम और परियोजनाएं**

(i) लक्ष्यों के प्रतिनिर्देश से मंजूर परियोजनाओं/स्कीमों/कार्यक्रमों के निष्पादन में प्रगति

(ii) अनुध्यात नई परियोजनाएं/स्कीम/कार्यक्रम साथ ही उनके फायदे, वित्तीय विविक्षाएं और निष्पादन के लिए कार्यक्रम

(iii) महत्वपूर्ण घटनाएं और परिस्थितियां जैसे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पंचाट।

(iv) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के संबंध में क्रियाकलापों का वृत्तांत जैसे मानक और लेबल लगाना, अभीहित उपभोक्ता, ऊर्जा प्रबंधक का प्रमाणन, ऊर्जा संरक्षण भवन कोड, ऊर्जा संपरीक्षा फार्मों का प्रत्यायन।

3. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग**

बहुपक्षीय/द्विपक्षीय कार्यक्रमों और उनके योगदान के ब्यौरे

4. **ब्यूरो का प्रशासन और लेखे**

(i) ब्यूरो की पूंजी संरचना

(ii) वित्तीय परिणामों का सार

(iii) ब्यूरो के कार्यकरण में सुधार करने या सुदृढ़ बनाने के लिए किए गए उपाय

(iv) लेखाओं का वार्षिक विवरण, अर्थात्, सम्यक् रूप से संपरीक्षित तुलन पत्र, प्राप्ति और संदाय लेखे और आय-व्यय विवरण।

5. **शिकायत को दूर करना**

6. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण**

7. **अल्पसंख्यक वर्ग का कल्याण**

8. **हिंदी का प्रगामी प्रयोग**

9. **सतर्कता**

[फा. सं. 10/7/2004-ई.एम.]

गिरीश बी. प्रधान, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 2005

G.S.R. 317.—In exercise of the powers conferred by clause (o) of Sub-section (2) of Section 56 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government hereby makes the following rules regulating the preparation of Annual Report by the Bureau of Energy Efficiency namely :—

1. **Short title and Commencement .**—(1) These Rules may be called the Bureau of Energy Efficiency (Annual Report) Rules, 2005.

(2) They shall come in to force on the date of publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—(1) In these Rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001;

(b) "Annual Report" means the report referred to in Section 23 of the Act;

(c) "Annual Statement of Accounts" means annual statement of accounts referred to in Section 25 of the Act;

(d) "Bureau" means the Bureau of Energy Efficiency established under Sub-section (1) of Section 3 of the Act;

(e) "Director-General" means the Director-General of the Bureau appointed under Sub-section (1) of Section 3 of the Act;

(f) "Secretary" means the Secretary of the Bureau appointed under Sub-section(2) of Section 9 of the Act;

(g) "Schedule" means the Schedule annexed to these Rules;

(h) "Year" means the financial year.

(2) Words and expression used herein and not defined in these rules but defined in the Energy Conservation Act, 2001 shall have the meaning as assigned to them in that Act.

3. **Preparation of Annual Report.**—(1) The Bureau shall prepare its Annual Report each year giving a full account of its activities undertaken during the relevant year. The annual report shall include in it details of activities likely to be undertaken by the Bureau during the next financial year, Annual Statement of Accounts duly certified by the Comptroller and Auditor General of India Audit Report, action taken report thereon, Report of the Director General and such other documents as may be prescribed by the Central Government in this regard.

(2) The Annual Report shall be prepared in the format specified in Form 'A' contained in the Schedule.

4. **Authority for preparation of Annual Report.**—Secretary of the Bureau shall supervise the preparation of the Annual Report to ensure that it faithfully reflects the activities undertaken or planned to be undertaken by the Bureau and it is submitted to the Central Government in time.

5. **Submission of Annual Report.**—The Bureau shall submit the Annual Report to the Central Government duly approved by the Governing Council before 15th September of each year for being laid before each House of the Parliament under Section 24 of the Act :

Provided that on a request from the Bureau in this behalf, the Central Government for reasons to be recorded in writing may extend the date of submission of Annual Report to the Central Government by such period, as it may consider necessary.

6. **Delay in submission of Annual Report.**—Whenever there is delay in submission of the Annual Report to the Central Government, the Bureau shall also submit to the Central Government a statement explaining the reasons for delay along with the Annual Report, duly approved by the Governing Council or such other authority as may be prescribed by the Governing Council in this regard.

SCHEDULE

FORM A

(See Sub-rule (2) of Rule 3)

FORMAT OF THE ANNUAL REPORT

1. General

(i) The Mission

(ii) The Objectives of Bureau of Energy Efficiency and its Role

(iii) Report of the Director General

(iv) Governing Council/Executive Committee composition, changes in composition/membership

(v) Sector-wise view—Agriculture, Industrial, Transport and Domestic and Commercial and such other sectors as may be specified by the Government.

2. Programmes and Projects

(i) Progress in the execution of the sanctioned Projects/Schemes/Programmes with reference to targets

(ii) New Projects/Schemes/Programmes contemplated together with their advantages, financial implications and Programmes for execution

(iii) Significant events and happenings such as National Energy Conservation Award.

(iv) An account of the activities having been implemented with regard to the Energy Conservation Act, such as Standards and Labelling, Designated Consumers, Certification of Energy Manager, Energy Conservation Building Code, Accreditation of Energy Audit Firms.

3. International Co-operation

Details of Multi-lateral/Bilateral Programmes and their contribution

4. Administration and Accounts of the Bureau

(i) Capital structure of the Bureau

(ii) Summary of the financial results

(iii) Measures taken for improving or strengthening the functioning of the Bureau

(iv) Annual Statement of Accounts, viz, Balance Sheet, Receipt and Payment Accounts and Income-Expenditure Statement duly audited.

5. Grievance redressal

6. Welfare of SC/ST/OBC

7. Welfare of Minority

8. Progressive Use of Hindi

9. Vigilance

[F. No. 10/7/2004-EM]

GIREESH B. PRADHAN, Jt. Secy.

MGIPRRND—2735 Power/2005—200